13

अध्याय

कल्याण उपाय

कल्याण उपाय

कोयला खनन का उन समुदायों पर अत्यधिक प्रभाव है जो ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां खाने स्थापित हैं। ऐसे क्षेत्रों में किसी प्रकार के औद्योगिक कार्यकलापों का प्रभाव इन क्षेत्रों के मूल निवासियों की जीवनशैली तथा क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य पर पड़ा है। कोल इण्डिया लिमिटेड (सी आई एल) ने इस विश्वास को जोरदार तरीके से प्रोत्साहित किया है कि खनन क्षेत्रों में रह रहे लोग खान विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर हैं।

- कारपोरेट सामाजिक दायित्व अधिदेश के भाग के रूप में सी आई एल तथा इसकी सहायक कम्पनियां कोल्फील्ड क्षेत्रों तथा उनके आस–पास के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के हित हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों में संलग्न हैं।
- स्वच्छ पेय जल, स्कूल भवनों का निर्माण, चेक बांधों, ग्रामीण सड़कों, सम्पर्क सड़कों और पुलियों, औषधालयों और अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों आदि जैसी सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन।
- स्वास्थ्य कैंप, चिकित्सा सहायता, परिवार कल्याण कैंप, एड्स जागरूकता कार्यक्रमों, टीकाकरण कैंपों, खेलों तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के संवर्धन, सामाजिक वन्यकरण आदि जैसे जागरूकता कार्यक्रम तथा सामुदायिक कार्यकलाप।
- **अपंग व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन**

वर्ष 1996–97 से ग्रुप 'ग' तथा 'घ' में नियुक्तियों के ब्यौरे

वर्ष	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या	आरक्षित कोटा के अंतर्गत भरे गए पदों की संख्या		
		वी एच	एच एच	ओ एच
1996–97 से 01.01.2015	8768	34	9	66

बी एचः दृष्टि अपंगता, एच एचः श्रवण अपंगता, ओ बीः अस्थि अपंगता

- एन एल सी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अपंग व्यक्तियों के उन्नयन के अनेक कल्याण उपायों का कार्यान्वयन भी करती है।

  कारपोरेट मानव संसाधन विकास विभाग के एक भाग के रूप में अ.जा, अ.ज.जा कर्मचारियों, अपंग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अल्पसंख्यकों के सेवा मामलों के निपटान हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। यह प्रकोष्ठ उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतों तथा तकलीफों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करता है। इस प्रकोष्ठ के कार्यों में एक है–अ.जा, अ.ज.जा, भूतपूर्व सैनिकों, अपंग व्यक्तियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करता तथा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विभिन्न प्राधिकरणों को ये आंकड़े उपलब्ध कराना। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य यह भी है कि भर्ती पदोन्नति तथा अन्य सेवा मामलों में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध सुरक्षापायों से कर्मचारियों को अवगत कराया जाए तथा आरक्षण नीति पर राष्ट्रपतीय निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- 31 दिसम्बर, 2014 को आरक्षित श्रेणियों के कर्मचारियों के प्रतिशत से संबंधित ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

समूह	आरक्षण का लागू प्रतिशत		जनशक्ति की स्थिति			उपलब्ध प्रतिशत	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.ज.	अ.ज.जा.
क	15.00	7.5	4160	865	279	20.79	6.71
ख	16.66	7.5	133	23	13	17.29	9.77
ग	19.00	1.0	10905	2125	103	19.45	0.94

	सफाई कर्मियों के अलावा	19.00	1.0	1247	301	2	24.14	0.16
	सफाई कर्मियों			8	4	0	50.00	0.00
कुल				**16453**	**3470**	**397**	**20.14**	**2.41**

➢ **अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप योजनाः** एन एल सी ने वर्ष 2000 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप–योजना (अतीत में विशेष घटन योजना के नाम जानी जाने वाली) कार्यान्वित की है। चूंकि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नगण्य है अतः अलग से जनजातीय उप योजना नहीं बनाई गई है और अनुसूचित जाति उप–योजना (एस सी एस पी) अ.जा. और अ.ज.जा. जनसंख्या दोनों के लिए कार्यान्वित की जाती है।

➢ कल्याण उपाय निम्नलिखित पर केन्द्रित हैं:

- एन एल सी के प्रारंभिक स्कूलों में पढ़ रहे प्रत्येक बच्चे को प्रतिवर्ष 2 सेट यूनीफार्म निशुल्क उपलब्ध कराना।
- पहली से पांचवी कक्षा तक के बच्चों को दो वर्षों में एक बार निशुल्क जूते उपलब्ध कराना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 175 छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान करना जिसमें इंजीनियरी में डिप्लोमा के लिए 12,000 प्रति वर्ष की दर से तथा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए 10,000/– प्रति वर्ष की दर छात्रवृत्तियां दी जाती है। इसमें प्रति छात्र 3750/– की होस्टल फीस शामिल है।
- एस.एस.एल.सी और एच एस सी परीक्षा में 90/– या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को नकद पुरस्कार प्रदान करना।
- जवाहर विज्ञान महाविद्यालय नेवेली में पढ़ रहे अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस का पुनर्भुगतान
- कार्यपालक विकास कार्यक्रमों जैसे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन विशिष्ट रूप से अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारियों के लाभ के लिए किया जाता है।
- प्रशिक्षु प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत तकनीकी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
- अ.जा./अ.ज.जा. बच्चों के खेल तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के विकास सहित युवा वैयक्ति विकास कार्यक्रमों का निदांमत आयोजन किया जाता है।

➢ **अपंग व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन**

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक विका के लिए एन.एल.सी अनेक स्कीमे कार्यान्वित कर रही है। नेवेली स्वास्थ्य वर्धन तथा सामाजिक कल्याण साझेदारी (एनएचपीडब्ल्यूएस) कुड्डुलोर, बिल्लूपुरम और तामिलनाडु के निकटवर्ती जिलों में अपंग व्यक्तियों के लिए फायदे प्रदान करती है। पी. डब्ल्यू. डी 1995 के अनुसार एन एल सी नियुक्तियों में अपंग व्यक्तियों को 3% आरक्षण भी देती है। समूह क, ख, ग और घ में जब कभी अपंग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त पद उपलब्ध होते हैं तो उनकी भर्ती की जाती है। समूह श्घश के भीतर, समूह 'घ' से 'ग' में तथा समूह 'ग' के भीतर पदोन्नितयां शत प्रतिशत पदोन्नितियों की संभावना सहित, समयबद्ध बनाई गई है।

➢ **एस.सी.सी.एल.** में 31.01.2015 को कर्मचारियों की कुल संख्या 58,713 थी। आरक्षित श्रेणियों में मौजूदा कर्मचारियों के संबंध में सामाजिक न्याय से संबंधित सूचना 31.12.2014 को निम्नानुसार है:

जाति	कुल कर्मचारी	% भाग
बी सी	31868	54.3
एस सी	12783	21.8
एस टी	3028	5.1
अन्य	11034	18.8
कुल	58713	100

➢ कारपोरेट सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में एससीसीएल के सभी क्षेत्रों में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए खेलों तथा क्रीडाओं का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

➢ सिंगरेनी सेवा समिति द्वारा निम्नलिखित तीन विद्यालयों (एस एस एस) को सहायता प्रदान की जा रही है।

- मनोचैतन्य विद्यालय, गोदावरीखानी (मानसिक विकलांगों के लिए)
- मनोविकास विद्यालय, मंडामारी (मानसिक विकलांगों के लिए)
- साईं मनोतेजा, मूक बधिर विद्यालय, मानुगुरू

➢ एस.सी.सी.एल में तथा इसके आसपास जनजातीय समुदायों को अवसंरचना तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है:

- मानुगुरू में जनजातीय आवास
- बेल्लमपल्ली में वनवासी कल्याण परिषद
- कोठागुडम में वनवासी कल्याण परिषद
- बेल्लमपल्ली क्षेत्र में आर.एण्ड.आर केंद्र